पिछड़ी जाति में सामाजिक गतिशीलता को प्रेरित करने वाले तत्त्व

शम्स आमना महबूब
प्रोफेसर फज़ल अहमद

बीसवीं शताब्दी के प्रारंभ में ब्रिटिश प्रशासकों ने शूद्र जातियों के लिए पिछड़े वर्ग शब्द का प्रयोग करना शुरू किया। इसका आधार यह था कि ये वर्ग पाश्चात्य शिक्षा और सरकारी नौकरियों को हासिल करने में नाकाम रहे थे। एम.एन. श्रीनिवास का मानना है कि शूद्र शब्द की इतनी व्यापक सांस्कृतिक और संरचनात्मक परिधि है कि यह एक तरह से अर्थहीन हो जाता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 16(4) नागरिकों के किसी पिछड़े वर्ग के लिए सरकारी नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण का प्रावधान करता है। इंदिरा साहनी बनाम भारतीय संघ (1993) मुकदमें में बहुमत के निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने यह विचार व्यक्त किया कि ''हमारे विचार में, अनुच्छेद 16(4) में प्रयुक्त शब्द– 'वर्ग' सामाजिक वर्ग के अर्थ में प्रयुक्त किया गया है, न कि उस अर्थ में, जैसा कि मार्क्सवादी अवधारणा के अन्तर्गत इसे समझा जाता है।

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार द्वारा पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की संभावनाओं को तलाशने के लिए गठित पिछड़ा वर्ग आयोगों ने 'पिछड़ा वर्ग' शब्द का प्रयोग उन जातियों के लिए किया, जो कर्मकांड और व्यवसाय के स्तर पर अछूतों के ऊपर हों, किन्तु पारंपरिक समाज की जाति व्यवस्था के निम्न स्तर पर हों। इस प्रकार, अन्य पिछड़े वर्गों के अन्तर्गत वे जातियाँ आती है, जो मध्यवर्ती जातियाँ हैं। ये जातियाँ कर्मकांडीय ढाँचे में ब्राह्मणों और क्षत्रियों के नीचे तथा अछूतों से ऊपर हैं। ऊँची जातियों के मुकाबले कर्मकांड में इनकी स्थिति निम्नतर अवश्य थी, लेकिन इनकी तुलना दलितों से नहीं की जा सकती। इसका कारण यह है कि अक्सर इनके पास कुछ जमीन और दूसरे आर्थिक स्त्रोत रहे हैं। इन्हें अस्पृश्यता का सामना भी नहीं करना पड़ता है।